



SUPREME COURT OF INDIA

उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति

SUPREME COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE

109, लायर्स चैंबर, आर.के. जैन ब्लॉक, उच्चतम न्यायालय कम्पाउंड, नई दिल्ली - 110001
109, Lawyers Chambers, R.K. Jain Block, Supreme Court Compound, New Delhi - 110 001.

फोन नं. 011-23388313, 23381257, 23073970

Phone Nos. 011-23388313, 23381257, 23073970

ई-मेल: sclsc@nic.in / E-mail : sclsc@nic.in

वेबसाइट-www. sclsc.nic.in/Website-www. sclsc.nic.in

उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति

उच्चतम न्यायालय में विधिक सहायता समाज के कमजोर और सीमांत वर्गों के लिए मुफ्त और उपयुक्त विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न रहे, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (जिसे यहाँ आगे अधिनियम कहा गया है) के तहत उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (जिसे यहाँ आगे एससीएलएससी कहा गया है) गठित की गई है

विधिक सेवाओं के लिए पात्रता: -

इस अधिनियम की धारा 12 में निर्दिष्ट सभी या निम्नलिखित में से किसी मानदंड को पूरा करने वाले व्यक्ति एससीएलएससी से विधिक सेवाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे, बशर्ते उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस व्यक्ति का वाद या प्रतिवाद करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता हो: -

- (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति;
- (ख) भारत में संविधान के अनुच्छेद 23 में यथा निर्दिष्ट मानव तस्करी का शिकार कोई व्यक्ति या भिखारी ;
- (ग) कोई महिला या बच्चा;
- (घ) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (प) में परिभाषित कोई निःशक्त व्यक्ति;
- (ङ) जन आपदा, जातीय हिंसा, जातीय उत्पीड़न, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक दुर्घटनाओं

SUPREME COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE

Legal Aid in the Supreme Court It is with a view to provide free and competent legal services to the weaker and marginalized sections of the society, to ensure that opportunities for securing justice, are not denied to any citizen, by reason of economic or other disabilities, the Supreme Court Legal Services Committee (herein after referred to as SCLSC) has been constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987 (herein after referred to as Act)

Entitlement to legal services :-

Persons who satisfy all or any of the following criteria as specified in Section 12 of the Act shall be entitled to receive legal services from the SCLSC, provided that such person has a prima facie case to prosecute or to defend the case before the Supreme Court :-

- (a) a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe;
- (b) a victim of trafficking in human beings or beggar as referred to in Article 23 of the Constitution of India;
- (c) a woman or a child;
- (d) a person disability as defined in clause (i) of section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full participation) Act 1995 (1 of 1996);
- (e) a person under circumstances of undeserved want such as being victim of

जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से पीड़ित कोई व्यक्ति;

(च) औद्योगिक कर्मकारय

(छ) अभिरक्षा में रखा गया कोई व्यक्ति, जिसमें अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ के भीतर किसी संरक्षा घर में या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का 53) की धारा 2 के खंड (ज) के अर्थ के भीतर किसी किशोर गृह में या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ के भीतर एक मनोरोग अस्पताल या मनोरोग नर्सिंग होम में अभिरक्षा में रखा रखा जाना शामिल है ;

(ज) वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,25,000 रुपये से कम है । (आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)

निम्नलिखित मामलों के लिए विधिक सहायता नहीं दी जाएगी:

(क) मानहानिय या दुर्भावनापूर्ण अभियोजनय या अदालत की अवमानना के आरोपी व्यक्ति; और झूठी गवाहीय के संबंध में पूर्णतः या आंशिक रूप से की जाने वाली कार्यवाही।

(ख) किसी चुनाव से संबंधित कार्यवाही;

(ग) उक्त कार्यवाहियों में से किसी के साथ आनुषंगिक कार्यवाहियां;

(घ) उन अपराधों के संबंध में कार्यवाही जिनमें लगाया गया जुर्माना 50 रुपये से ज्यादा नहीं है;

(ङ) आर्थिक अपराधों और सामाजिक कानूनों के उल्लंघन के अपराधों के संबंध में कार्यवाही,

a mass disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster;

(f) an industrial workman;

(g) in custody, including custody in a protective home within the meaning of clause (g) of section 2 of the Immoral Traffic (Prevention) Act 1956(104 of 1956) or in a juvenile home within the meaning of clause (j) of section 2 of the Juvenile Justice Act, 1986 (53 of 1986) or in a psychiatric hospital or psychiatric nursing home within the meaning of clause (g) of section 2 of the Mental Health Act, 1987 (14 of 1987);

(h) in receipt of annual income less than Rupees 1,25,000. (Applicant required to furnish an affidavit to this effect)

Legal aid will not be given for the following cases:

(a) Proceedings wholly or partly in respect of – defamation; or malicious prosecution; or a person charged with Contempt of court; and perjury;

(b) Proceedings relating to any election;

(c) Proceedings incidental to any of the above proceedings;

(d) Proceedings in respect of offences where the fine imposed is not more than Rs. 50;

(e) Proceedings in respect of economic offences and offences against social

जैसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (जब तक कि ऐसे मामलों में पीड़ित द्वारा सहायता की मांग न की गई हो) (परंतु माननीय अध्यक्ष ऐसी कार्यवाहियों में से भी उपयुक्त मामले में कानूनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं)

- (च) ऐसी कार्यवाहियां जिनमें कानूनी सहायता या सलाह लेने वाला व्यक्ति केवल एक प्रतिनिधि या आधिकारिक हैसियत से कार्यवाही में शामिल है; या कार्यवाही के लिए एक केवल औपचारिक पक्ष (पार्टी) है, कार्यवाहियों के परिणाम से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है और उचित प्रतिनिधित्व न होने पाने की स्थिति में उनके हितों पर प्रतिकूल पड़ने की संभावना नहीं है। (हालांकि अति महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामलों में य या कानूनी सहायता या सलाह पाने के लिए अन्यथा उचित समझे जाने वाले किसी विशेष मामले में, जिसके कारण लिखित में दर्ज किए जाएंगे, साधान परीक्षण पर विचार किए बिना भी कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है)

कानूनी सेवाओं के लिए आवेदन पत्र: -

- ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला दर्ज करने के लिए या उसका प्रतिवाद करने के लिए, कानूनी सेवाएं लेना चाहता है, उसे एससीएलएससी के प्रबंधा कार्यालय (फ्रंट ऑफिस) में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप (फॉर्म) में कानूनी सहायता के लिए आवेदन करना होगा। आवेदक हमारी वेब साइट- www-sclsc-nic-in से भी आवेदन(फॉर्म) डाउनलोड कर सकते हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला दायर करने के लिए एससीएलएससी द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों की जाँच सूची:

laws, such as the Protection of Civil Rights Act, 1955 and the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (unless in such cases the aid is sought by the victim) [Provided that the Hon'ble Chairman may in appropriate case grant legal services even in such proceedings]

- (f) Proceedings where a person seeking legal aid or advice is concerned with the proceedings only in a representative or official capacity; or is a formal party to the proceedings, not materially concerned in the outcome of the proceedings and his interests are not likely to be prejudiced on account of the absence of proper representation.

[However, irrespective of the means test, legal aid may be granted in cases of great public importance; or in a special case, reasons for which are to be recorded in writing, considered otherwise deserving of legal aid or advice]

Application Forms for Legal Services:-

- Every person who wants to avail legal services, to file or defend a case before the Hon'ble Supreme Court, has to make an application for legal aid on a prescribed format (forms)available in the Front Office of the SCLSC. The applicants can also down load the application forms from our web site - www.sclsc.nic.in

Check List of the documents required by the SCLSC for filing matter before the Hon'ble Supreme Court :

विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक)

1. उच्च न्यायालय के फैसले की प्रमाणित प्रति
2. उच्च न्यायालय की अभिलेख पुस्तिका (पेपर बुक)
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि
4. साक्ष्यों की प्रतिलिपि
5. विचारण न्यायालय का निर्णय
6. माननीय उच्चतम न्यायालय में पहुंचने में विलंब, यदि कोई हो, तो उसका कारण।
7. कारावास का प्रमाण पत्र
8. विधिक सेवाओं के लिए आवेदन
9. विधिक सेवाओं के लिए शपथ पत्र
10. वकालतनामा
11. जन भाषा में मौजूद दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद।
12. एसएलपी के समर्थन में शपथ-पत्र।

विशेष अनुमति याचिका (सिविल)

1. उच्च न्यायालय के निर्णय का प्रमाणित प्रति।
2. उच्च न्यायालय अभिलेख पुस्तिका (पेपर बुक)।
3. विचारण न्यायालय का निर्णय/अधिकरण न्यायालय का निर्णय।
4. माननीय उच्चतम न्यायालय में पहुंचने में विलंब, यदि कोई हो, तो उसका कारण।
5. विधिक सेवाओं के लिए आवेदन।
6. विधिक सेवाओं के लिए शपथ-पत्र
7. वकालतनामा।
8. जन भाषा में मौजूद दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद।
9. एसएलपी के समर्थन में शपथ-पत्र।

कानूनी अपील

1. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति।
2. न्यायालय में दाखिल किए गए मामले की अभिलेख पुस्तिका (पेपर बुक)।

Special Leave Petition (Criminal)

1. Certified copy of High Court Judgement
2. High Court paper book
3. Copy of FIR
4. Copy of Evidences
5. Trial Court judgement
6. Reasons for delay, if any in approaching the Hon'ble Supreme Court.
7. Certificate of imprisonment
8. Application for legal services
9. Affidavit for legal services
10. Vakalatnama
11. English translation of the documents, which are in vernacular.
12. Affidavit in support of SLP.

Special Leave Petition (Civil)

1. Certified copy of the High Court judgement
2. High Court paper book
3. Trial Court judgement/Tribunal Court Judgement
4. Reasons for delay, if any in approaching the Hon'ble Supreme Court.
5. Application for legal services
6. Affidavit for legal services
7. Vakalatnama
8. English translation of the documents, which are in vernacular.
9. Affidavit in support of SLP.

Statutory Appeals

1. Certified copy of the Judgement passed by Forum
2. Paper book of the case filed in Forum

3. विधिक सहायता के लिए पहुंचने में विलंब, यदि कोई हो, तो उसका कारण।
4. विधिक सेवाओं के लिए आवेदन।
5. विधिक सेवाओं के लिए शपथ-पत्र।
6. वकालतनामा।
7. जन भाषा में मौजूद दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद।
8. अपील के समर्थन में शपथ-पत्र।

स्थानांतरण याचिका (सिविल/दांडिक)

1. विचारण न्यायालय से प्राप्त समन।
2. विचारण न्यायालय के समक्ष विरोधी पक्षकार द्वारा दाखिल याचिका की प्रति।
3. स्थानांतरण के लिए कारण।
4. विधिक सेवाओं के लिए आवेदन।
5. विधिक सेवाओं के लिए शपथ-पत्र।
6. वकालतनामा।
7. जन भाषा में मौजूद दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद।
8. स्थानांतरण याचिका के समर्थन में शपथ-पत्र।

प्रत्यर्थी मामला

1. एसएलपी/स्थानांतरण याचिका अभिलेख पुस्तिका के पूरे सेट की प्रति।
2. उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा जारी सूचना की प्रति।
3. विधिक सेवाओं के लिए शपथ-पत्र।
4. वकालतनामा।
5. जन भाषा में मौजूद दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद।
6. शपथ-पत्र।
7. विधिक सेवाओं के लिए आवेदन।

पुनर्विलोकन याचिका (सिविल/दांडिक)

1. एसएलपी अभिलेख पुस्तिका के पूरे सेट की प्रति।
2. यदि एलएलपी एससीएलएससी के माध्यम से दाखिल नहीं की गई है तो, अभिलेख में मौजूद उस अधिवक्ता से, जिसने एसएलपी दाखिल किया है, अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

3. Reasons for delay, if any, in approaching for legal aid.
4. Application for legal services
5. Affidavit for legal services
6. Vakalatnama
7. English translation of the documents, which are in vernacular.
8. Affidavit in support of Appeal.

Transfer Petition (Civil/Criminal)

1. Summons received from Trial Court
2. Copy of petition filed by the opposite party before trial court.
3. Reasons for transfer
4. Application for legal services
5. Affidavit for legal services
6. Vakalatnama
7. English translation of the documents, which are in vernacular.
8. Affidavit in support of Transfer Petition.

Respondent Matter

1. Copy of the complete set of SLP /Transfer Petition paper book.
2. Co plication for legal services

Review Petition (Civil / Criminal)

1. Copy of complete set of SLP paper book
2. No objection certificate from the Advocate on Record who filed the SLP, if SLP not filed through SCLSC.
3. Affidavit for legal services
4. Vakalatnama
5. English translation of the documents, which are in vernacular.
6. Affidavit

3. विधिक सेवाओं के लिए शपथ-पत्र।
4. वकालतनामा।
5. जन भाषा में मौजूद दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद।
6. शपथ-पत्र।
7. विधिक सेवाओं के लिए आवेदन।
8. विलंब के लिए कारण।

क्यूरेटिव याचिका (दांडिक) (केवल आजीवन दंडादेश/ मृत्यु दंडादेश से संबंधित मामले)

1. एसएलपी अभिलेख पुस्तिका के पूरे सेट की प्रति।
2. एसएलपी/अपील में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति।
3. पुनर्विचार याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति।
4. पुनर्विचार याचिका की पूरी प्रति।
5. विधिक सेवाओं के लिए शपथ-पत्र।
6. वकालतनामा।
7. जन भाषा में मौजूद दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद।
8. शपथ-पत्र।
9. विधिक सेवाओं के लिए आवेदन।
10. विलंब के लिए कारण।

टिप्पणी: यदि दस्तावेजों को पूरा करने में आवेदक को कठिनाई होती हो तो वह उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति/प्राधिकारी के पास जा सकता/ सकती है और दस्तावेजों को पूरा करने के लिए अपेक्षित सहायता मांग सकता/सकती है।

छानबीन समिति

एससीएलएससी, सभी दस्तावेजों के साथ (जांचसूची के अनुसार) पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, आवेदक के मामले को इस बात की छानबीन और मूल्यांकन के लिए छानबीन समिति के पास भेजेगा कि क्या वादकारी विधिक सहायता के लिए पात्र है तथा क्या प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं।

7. Application for legal services
8. Reasons for delay.

Curative Petition (Criminal) (matter relating to life sentence/death sentence only)

1. Copy of complete set of SLP paper book.
2. Certified copy of order passed by the Hon'ble Supreme Court in SLP/Appeal
3. Certified copy of the order passed by the Hon'ble Supreme Court in Review Petition.
4. Complete copy of the Review Petition.
5. Affidavit for legal services.
6. Vakalatnama.
7. English translation of the documents, which are in vernacular.
8. Affidavit
9. Application for legal services
10. Reasons for delay.

Note:- In case the applicant find any difficulty in completing the documents, he/she may approach the High Court Legal Aid Committee/Authority and seek required assistance for completing the documents.

Screening Committee:-

On receipt of completed application forms alongwith all the documents (as per checklist), the SCLSC refer & the matter of the applicant to one of the Screening Committee's for scrutiny and evaluation as to whether the litigant is entitled for legal aid and whether prima facie case is made or not?

माननीय अध्यक्ष को अपील

आवेदक, जिसका विधिक सहायता मंजूर करने का आवेदन छानबीन समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, उन कारणों का उल्लेख करते हुए, जिनसे वह छानबीन समिति द्वारा दिए गए मत से सहमत नहीं है, निर्णय करने के लिए अध्यक्ष के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

संपर्क के लिए पता/टेलीफोन नंबर

सचिव

उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति

109, लायर्स चौबेर, आर.के. जैन ब्लॉक, उच्चतम न्यायालय कम्पाउंड, नई दिल्ली - 110001

फोन नं. 011-23388313, 23381257, 23073970

ई-मेल: sclsc@nic-in

टिप्पणी:

1. एससीएलएससी द्वारा आवेदकों को विधिक सहायता मंजूर करना पूर्णतः निःशुल्क है।
2. एससीएलएससी अपूर्ण दस्तावेजों को स्वीकार नहीं करेगा।

Appeal to Hon'ble Chairman :

The applicant whose application for grant of legal services has been rejected by the Screening Committee, may prefer an appeal before the Chairman for decision, giving reasons for not agreeing with the opinion given by the Screening Committee.

Contact Address/ Telephone Nos.:

The Secretary

Supreme Court Legal Services Committee
109, Lawyers Chambers, R.K. Jain Block,

Supreme Court Compound, New Delhi - 110 001.

Phone Nos. 011-23388313, 23381257,
23073970

E-mail : sclsc@nic.in

NOTE :

1. GRANTING OF LEGAL AID BY THE SCLSC TO THE APPLICANTS IS ABSOLUTELY FREE OF COST.
2. THE SCLSC WILL NOT ENTERTAIN INCOMPLETE DOCUMENTS.

-----*****-----